रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/93 REGD. NO. D.L.-33004/93

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 53] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 31, 1993/चैत्र 10, 1915

No. 53] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 31, 1993/CHAITRA 10, 1915

राज्य सभा सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 1993

सं. आर. एस. 7/1/93-एल (i).—राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन विषयक नियमों के नियम 220 के उप-नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सभा के सभापति, एतद्द्वारा मार्च, 1993 की 29वीं तारीख को वह तारीख नियत करते हैं जिस तारीख को भारत के राजपत्र असाधारण, दिनांक 31 मार्च, 1993 में, अधिसूचना संख्या आर एस.-7/1/93-एल., दिनांक 31 मार्च, 1993 के अधीन प्रकाशित नियमों के संशोधन प्रभावी होंगे ।

सुदर्शन अग्रवाल, महासचिव

RAJYA SABHA SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 1993

No. RS. 7/1/93-L.(i).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (4) of rule 220 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Council of States (Rajya Sabha), the Chairman, Rajya Sabha, hereby appoints the 29th day of March, 1993, as the date on which the amendments to the Rules published under Notification No. Rs. 7/1/93-L., dated the 31st March, 1993, in the Gazette of India extraordinary of the 31st March, 1993 shall come into force.

SUDARSHAN AGARWAL, Secy. General.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 1993

सं. आर एस. 7/1/93-एल.-(ii).—राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन विषयक नियमों में निम्नलिखित संशोधनों को, जिस रूप में उन्हें राज्य सभा द्वारा 29 मार्च, 1993 को हुई अपनी बैठक में स्वीकार किया गया है, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है :—

1. नए अध्याय 22 का जोड़ा जाना—अध्याय 21 के पश्चात् निम्नलिखित अध्याय जोड़ा जाएगा, अर्थात्:—

अध्याय-22

विभागों से सम्बन्धित स्थायी समितियां

268. (1) विभागों से संबंधित स्थायी समितियां:—सभाओं की मंत्रालयों/विभागों से संबंधित संसदीय स्थायी समितियां होंगी (इन्हें स्थायी समितियां कहा जाएगा) ।

(2) प्रत्येक स्थायी समिति, तीसरी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट, मंत्रालयों/विभागों से संबंधित होगी :

परन्तु यह तब जब कि सभापति तथा लोक सभा के अध्यक्ष (इसमें इसके पश्चात् इन्हें अध्यक्ष कहा गया है) एक दूसरे से परामर्श करके उक्त अनुसूची में समय-समय पर बदल कर सकेंगे ।

269. (1) गठन:—नियम 268 के अधीन गठित प्रत्येक स्थायी समिति में 45 से अधिक सदस्य नहीं होंगे—

राज्य सभा के सभापति द्वारा राज्य सभा के सदस्यों में से 15 सदस्यों को नाम-निर्दिष्ट किया जाएगा और लोक सभा के अध्यक्ष द्वारा लोक सभा के सदस्यों में से 30 सदस्यों को नाम-निर्दिष्ट किया जाएगा :

परन्तु यह तब जब कि मंत्री के रूप में नियुक्त किसी सदस्य को किसी समिति के सदस्य के रूप में नाम-निर्दिष्ट नहीं किया जाएगा या वह किसी समिति का सदस्य नहीं बना रहेगा ।

(2) तीसरी अनुसूची के भाग-I में विनिर्दिष्ट प्रत्येक समिति का अध्यक्ष, राज्य सभा के सभापति द्वारा संबंधित समितियों के सदस्यों में से नियुक्त किया जाएगा तथा उक्त अनुसूची के भाग-II में विनिर्दिष्ट प्रत्येक समिति का अध्यक्ष तत्समान लोक सभा के अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाएगा ।

(3) समिति के सदस्य का कार्यकाल एक वर्ष से अधिक नहीं होगा ।

270. कृत्य:—प्रत्येक स्थायी समिति के कृत्य निम्नानुसार होंगे, अर्थात्:—

(क) संबंधित मंत्रालयों/विभागों की अनुदान मांगों पर विचार करना और उन पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करना । प्रतिवेदन में कटौती प्रस्तावों की प्रकृति जैसे किसी प्रस्ताव का सुझाव नहीं होगा;

(ख) संबंधित मंत्रालयों/विभागों से संबंधित ऐसे विधेयकों की जांच करना जो, यथास्थिति, सभापति या अध्यक्ष द्वारा समिति को सौंपे गए हैं और उन पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करना;

(ग) मंत्रालयों/विभागों के वार्षिक प्रतिवेदनों पर विचार करना और उन पर स्तुत करना; और

(घ) सभाओं में प्रस्तुत किए गए राष्ट्रीय आधारभूत दीर्घावधिक नीति संबंधी दस्तावेजों पर, यदि सभापति अथवा अध्यक्ष द्वारा, यथास्थिति समिति को सौंपे गए हों, विचार करना और उन पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करना;

परन्तु यह तब जब कि स्थायी समितियां संबंधित मंत्रालयों/विभागों के दैनन्दिन प्रशासन से संबंधित मामलों पर विचार नहीं करेंगी ।

271. कृत्यों से संबंधित उपबंधों का लागू होना:—नियम 270 में यथा-उपबंधित स्थायी समितियों का प्रत्येक कृत्य समितियों पर उस तारीख से लागू होगा जिसे सभापति और अध्यक्ष द्वारा किसी कृत्य विशेष के लागू होने के संबंध में अधिसूचित किया जाएगा ।

272. अनुदानों की मांगों से संबंधित प्रक्रिया:—सभाओं में बजट पर सामान्य चर्चा समाप्त होने के पश्चात् और सभाओं के एक निर्धारित अवधि के लिए स्थगित हो जाने पर प्रत्येक स्थायी समिति द्वारा अनुदानों की मांगों पर विचार करने और उन पर अपना प्रतिवेदन सभाओं में प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा:—

(क) समिति उपर्युक्त अवधि के दौरान संबंधित मंत्रालयों की अनुदानों की मांगों पर विचार करेगी;

(ख) समिति अपना प्रतिवेदन विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर तैयार करेगी, और

(ग) प्रत्येक मंत्रालय की अनुदानों की मांगों के संबंध में पृथक प्रतिवेदन होगा ।

273. विधेयक से संबंधित प्रक्रिया:—प्रत्येक स्थायी समिति द्वारा विधेयक की जांच करने और उस पर प्रतिवेदन तैयार करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा:—

(क) समिति किसी भी सभा में पुरःस्थापित केवल ऐसे विधेयकों की जांच करेगी जिन्हें, यथास्थिति, सभापति अथवा अध्यक्ष द्वारा उसे सौंपा गया हो; और

(ख) समिति ऐसे विधेयकों के सामान्य सिद्धान्तों और खण्डों पर विचार करेगी और उन पर, यथास्थिति, सभापति अथवा अध्यक्ष द्वारा विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर अपना प्रतिवेदन तैयार करेगी ।

274. (1) समिति का प्रतिवेदन:—स्थायी समिति का प्रतिवेदन व्यापक सहमति पर आधारित होगा ।

(2) समिति का कोई भी सदस्य समिति के प्रतिवेदन पर विसम्मति-टिप्पण अभिलिखित कर सकेगा ।

(3) समिति का प्रतिवेदन, विसम्मति टिप्पण सहित, यदि कोई हो, दोनों सभाओं को प्रस्तुत किया जाएगा ।

275. विधेयकों पर प्रवर समितियों से संबंधित नियमों का लागू होना:—अन्य मामलों में, राज्य सभा में विधेयक पर प्रवर समितियों से संबंधित नियम, तीसरी अनुसूची के भाग-I में विनिर्दिष्ट स्थायी समितियों पर आवश्यक परिवर्तन सहित, लागू होंगे तथा सभा में अन्य संसदीय समितियों पर लागू होने वाले सामान्य नियम, उक्त अनुसूची के भाग-II में विनिर्दिष्ट स्थायी समितियों पर लागू होंगे ।

276. विचार न किए जाने वाले विषय:—कोई भी स्थायी समिति किसी अन्य संसदीय समिति के क्षेत्राधिकार के अधीन आने वाले विषयों पर सामान्यतया विचार नहीं करेगी ।

277. प्रतिवेदनों का सुझावात्मक महत्व का होना:—स्थायी समिति का प्रतिवेदन सुझावात्मक महत्व का होगा और इसे समिति द्वारा विचारित सलाह के रूप में माना जाएगा ।

II. तीसरी अनुसूची का जोड़ा जाना:—दूसरी अनुसूची के पश्चात् निम्नलिखित अनुसूची जोड़ी जाएगी, अर्थात्:—

तीसरी अनुसूची

(देखिए नियम 268)

भाग-I

क्र.सं.	समिति का नाम	मंत्रालय/विभाग
1.	वाणिज्य संबंधी समिति	(1) वाणिज्य (2) वस्त्र
2.	गृह कार्य संबंधी समिति	(1) गृह (2) विधि, न्याय तथा कंपनी कार्य (3) कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन

क्र.सं.	समिति का नाम	मंत्रालय/विभाग
3.	मानव संसाधन विकास संबंधी समिति	(1) मानव संसाधन विकास
		(2) स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण
4.	उद्योग संबंधी समिति	(1) उद्योग
		(2) इस्पात
		(3) खान
5.	विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, पर्यावरण तथा वन संबंधी समिति	(1) विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी
		(2) इलैक्ट्रानिकी
		(3) अन्तरिक्ष
		(4) महासागर विकास
		(5) बायोटैक्नोलोजी
		(6) पर्यावरण और वन
6.	परिवहन और पर्यटन संबंधी समिति	(1) नागर विमानन
		(2) जल-भूतल परिवहन
		(3) पर्यटन

भाग-II

क्र.सं.	समिति का नाम	मंत्रालय/विभाग
7.	कृषि संबंधी समिति	(1) कृषि
		(2) जल संसाधन
		(3) खाद्य प्रसंस्करण
8.	संचार संबंधी समिति	(1) सूचना तथा प्रसारण
		(2) संचार
9.	रक्षा संबंधी समिति	रक्षा
10.	ऊर्जा संबंधी समिति	(1) कोयला
		(2) गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत
		(3) विद्युत
		(4) परमाणु ऊर्जा
11.	विदेशी मामलों संबंधी समिति	विदेश
12.	वित्त संबंधी समिति	(1) वित्त
		(2) योजना
		(3) कार्यक्रम कार्यान्वयन
13.	खाद्य, नागरिक पूर्ति तथा सार्वजनिक वितरण संबंधी समिति	(1) खाद्य
		(2) नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण
14.	श्रम और कल्याण संबंधी समिति	(1) श्रम
		(2) कल्याण
15.	पैट्रोलियम तथा रसायन संबंधी समिति	(1) पैट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस
		(2) रसायन तथा पैट्रो-रसायन
		(3) उर्वरक
16.	रेल संबंधी समिति	रेल
17.	शहरी तथा ग्रामीण विकास संबंधी समिति	(1) शहरी विकास
		(2) ग्रामीण विकास

III. मानव संसाधन विकास संबंधी समिति, उद्योग संबंधी समिति तथा श्रम संबंधी समिति के संबंध में क्रमशः अध्याय 17क 17ख और 17ग के अधीन विद्यमान नियमों का लोप किया जाएगा ।

सुदर्शन अग्रवाल, महासचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 1993

NO. RS. 7|1|93-L.(ii).—The following amendments to the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Council of States (Rajya Sabha) as adopted by the Rajya Sabha at its sitting held on the 29th March, 1993, are hereby published for general information :—

I. Addition of new Chapter XXII.— I.—After Chapter XXI, the following Chapter shall be added, namely :—

CHAPTER XXII

DEPARTMENT-RELATED STANDING COMMITTEES

268. (1) Department related Standing Committees.—There shall be Parliamentary Standing Committees of the Houses (to be called the Sanding Committees) related to Ministries|Departments.

(2) Each of the Standing Committees shall be related to the Ministries|Departments as specified in the Third Schedule :

Provided that the Chairman and the Speaker, Lok Sabha (hereinafter referred to as the Speaker), may alter the said Schedule from time to time in consultation with each other.

269. (1) Constitution.—Each of the Standing Committees constituted under rule 268 shall consist of not more than 45 members, 15 members nomina-

ted by the Cairman from amongst the members of the Council, and 30 members nominated by the Speaker from amongst the members of the House :

Provided that a member appointed as a Minister shall not be nominated as, or continue as, a member of any Committee.

(2) The Chairman of each of the Committees specified in Part I of the Third Schedule shall be appointed by the Chairman of the Council from amongst members of the respective Committees, and the Chairman of each of the Committees specified in Part II of the said Schedule shall correspondingly be appointed by the Speaker.

(3) A member of a Committee shall hold office for a term not exceeding one year.

270. Functions.—Each of the Standing Committees shall have the following functions, namely

(a) to consider the Demands for Grants of the related Ministries|Departments and report thereon. The report shall not suggest anything of the nature of cut motions;

(b) to examine Bills, pertaining to the related Ministries|Departments, referred to the Committee by the Chairman or the Speaker as the case may be, and report thereon;

(c) to consider the annual reports of the Ministries|Departments and report thereon; and

(d) to consider national basic long term policy documents presented to the Houses, if referred to the Committee by the Chairman or the Speaker, as the case may be, and report thereon.

Provided that the Standing Committees shall not consider matters of day-to-day administration of the related Ministries|Departments.

271. Applicability of provisions relating to functions.—Each of the functions of the Standing Committees as provided in rule 270 shall be applicable to the Committees from such date as may be notified by the Chairman and the Speaker in respect of applicability of a particular function.

272. Procedure relating to Demands for Grants—The following procedure shall be followed by each of the Standing Committees in its consideration of the Demands for Grants and making a report thereon to the Houses, after the general discussion on the Budget in the Houses is over, and the Houses are adjourned for a fixed period :—

(a) the Committee shall consider the Demands for Grants of the related Ministries during the aforesaid period;

(b) the Committee shall make its report within the specified period; and

(c) there shall be a separate report on the Demands for Grants of each Ministry.

273. Procedure relating to Bills.—The following procedure shall be followed by each of the Standing Committees in examining a Bill and making a report thereon :—

(a) the Committee shall examine only such Bills introduced in either of the Houses as are referred to it by the Chairman or the Speaker, as the case may be; and

(b) the Committee shall consider the general principles and clauses of such Bills and shall make report thereon within such time as may be specified by the Chairman or the Speaker, as the case may be.

274. (1) Report of the Committee.—The report of the Standing Committee shall be based on board consensus.

(2) Any member of the Committee may record a minute of dissent on the report of the Committee.

(3) The report of the Committee together with the minutes of dissent, if any, shall be presented to the Houses.

275. Applicability of rules relating to Select Committees on Bills.—In other respects the rules applicable to Select Committees on Bills in the Council shall apply *mutatis mutandis* to the Standing Committees specified in Part I of the Third Schedule and the general rules applicable to other Parliamentary Committees in the House shall apply to Standing Commitees specified in Part II of the said Schedule.

276. Matters not to be considered.—A Standing Committee shall not ordinarily consider matters within the purview of any other Parliamentary Committee.

277. Reports to have persuasive value.—The report of a Standing Committee shall have persuasive value and shall be treated as considered advice given by the Committee."

11. Addition of Third Schedule.—After the Second Schedule, the following Schedule shall be added, namely :—

"THIRD SCHEDULE

(See rule 268)

Part I

Sl. No.	Name of the Committee	Ministries/Departments
1.	Committee on Commerce	(1) Commerce (2) Textiles
2.	Committee on Home Affairs	(1) Home Affairs (2) Law, Justice & Company Affairs (3) Personnel, Public Grievances & Pensions
3.	Committee on Human Resource Development	(1) Human Resource Development (2) Health and Family Welfare
4.	Committee on Industry	(1) Industry (2) Steel (3) Mines
5.	Committee on Science & Technology, Environment & Forests	(1) Science & Technology (2) Electronics (3) Space (4) Ocean Development (5) Biotechnology (6) Environment & Forests
6.	Committee on Transport & Tourism	(1) Civil Aviation (2) Surface Transport (3) Tourism

Part—II

7.	Committee on Agriculture	(1) Agriculture (2) Water Resources (3) Food Processing
8.	Committee on Communications	(1) Information & Broadcasting (2) Communications
9.	Committee on Defence	Defence
10.	Committee on Energy	(1) Coal (2) Non-conventional Energy Sources (3) Power (4) Atomic Energy

Sl. No.	Name of the Committee	Ministries/Departments
11.	Committee on External Affairs	External Affairs
12.	Committee on Finance	(1) Finance
		(2) Planning
		(3) Programme Implementation
13.	Committee on Food, Civil Supplies and Public Distribution	(1) Food
		(2) Civil Supplies, Consumer Affairs & Public Distribution
14.	Committee on Labour and Welfare	(1) Labour
		(2) Welfare
15.	Committee on Petroleum & Chemicals	(1) Petroleum & Natural Gas
		(2) Chemicals & Petrochemicals
		(3) Fertilizers
16.	Committee on Railways	Railways
17.	Committee on Urban and Rural Development	(1) Urban Development
		(2) Rural Development

III. The existing rules under Chapters XVIID, XVIIE and XVIIF in respect of the Committee on Human Resource Development, Committee on Industry and Committee on Labour, respectively, shall be omitted.

SUDARSHAN AGARWAL, Secy. General

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1993